जनपद शामली पुलिस

--सोशल मीडिया सेल शामली--

प्रेस विज्ञप्ति **दिनांक-25.07.2025**

थाना झिंझाना पुलिस द्वारा थाना क्षेत्रान्तर्गत ग्राम खेडी खुशनाम में घर से हुई चोरी की घटना में वांछित 25,000/- रुपये का ईनामी अभियुक्त पुलिस मुठभेड़ में घायल सहित 02 अन्तर्राज्यीय अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से अवैध हथियार व कारतूस बरामद।

ज्ञात हो कि दिनांक 24.05.2024 को वादी श्री नीरज पुत्र विनोद निवासी ग्राम खेडी खुशनाम थाना झिंझाना जनपद शामली ने अज्ञात चोरों के विरुद्ध घर से सोने व चांदी के जेवर व लगभग 01 लाख रुपये चोरी कर लेने के सम्बन्ध में थाना झिंझाना पर तहरीर दी थी। पीडित की तहरीर के आधार पर थाना झिंझाना पर सुसंगत धाराओं मे अभियोग पंजीकृत किया गया था। दिनाँक 17.06.2024 को थाना झिंझाना पुलिस द्वारा घटना का अनावरण करते हुये घटना में लिप्त अभियुक्त सन्दीप पुत्र पवन निवासी ग्राम अलाउदीनपुर थाना झिंझाना जनपद शामली को 01 लाख रुपये नगदी व चोरी किया हुआ सामान (एक गले की चैन, एक अंगूठी पीली धातु, एक जोडी पाजेब, एक जोडी पायल, एक जोडी बिछुए सफेद धातु) सहित गिरफ्तार किया गया था। थाना झिंझाना पुलिस द्वारा घटना में वांछित अभियुक्त संजू पुत्र स्व0 मुकेश निवासी ग्राम अलाउद्दीनपुर थाना झिंझाना जनपद शामली की तलाश की जा रही थी।

इसी क्रम में आज दिनांक 25.07.2025 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री राम सेवक गौतम द्वारा चलाये जा रहे चोरी/लूट/रंगदारी/अपहरण की घटनाओं के अनावरण एवं इनमें लिप्त अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी कैराना के कुशल पर्यवेक्षण में थाना झिंझाना पुलिस द्वारा थाना क्षेत्रान्तर्गत ग्राम खेडी खुशनाम में घर से हुई चोरी की घटना में वांछित 25,000/- रुपये का ईनामी अभियुक्त संजू पुत्र स्व0 मुकेश निवासी ग्राम अलाउद्दीनपुर थाना झिंझाना जनपद शामली को कैराना-झिंझाना मार्ग पर जंगल ग्राम जमालपुर के पास हुई पुलिस मुठभेड में पुलिस द्वारा आत्मरक्षार्थ की गई फायरिंग में घायल सहित 02 अन्तर्राज्यीय अभियुक्तों को अवैध 02 तमंचे 315 बोर, 02 जिन्दा कारतूस व 02 खोखा कारतूस 315 बोर सहित गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। घायल इनामी अभियुक्त संजू को उपचार हेतु सीएचसी ऊन में भर्ती कराया गया। अभियुक्तगण की गिरफ्तारी एवं बरामदगी के सम्बन्ध में थाना झिंझाना पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है। अभियुक्तगण के आपराधिक इतिहास के सम्बन्ध में निकटवर्ती जनपदो/राज्यों से जानकारी की जा रही है।

नाम व पता अभियुक्तगण-

1.संजू पुत्र स्व0 मुकेश निवासी ग्राम अलाउद्दीनपुर थाना झिंझाना जनपद शामली। (घायल)

2.कपिल पुत्र स्व0 मुकेश निवासी ग्राम अलाउद्दीनपुर थाना झिंझाना जनपद शामली।

आपराधिक इतिहास इनामी अभियुक्त संजू उपरोक्तः-

1.मु0अ0स0 202/2018 धारा 392 भादवि थाना आदर्शमण्डी जनपद शामली।

2.मु0अ0सं0 212/2024 धारा 380/411/457 भादवि थाना झिंझाना जनपद शामली।

3.मु0अ0सं0 08/2025 धारा 209 बीएनएस थाना झिंझाना जनपद शामली।

4.मु0अ0सं0 167/2019 धारा 307/34 भादवि थाना ज्योतिनगर दिल्ली।

5.मु0अ0सं0 354/2025 धारा 109(1)/111/बीएनएस व 3/25/27 आयुध अधिनियम थाना झिंझाना जनपद शामली।

आपराधिक इतिहास अभियुक्त कपिल उपरोक्तः-

1.मु0अ0सं0 478/2024 धारा 3/25 आयुद्ध अधि थाना झिंझाना जनपद शामली।

2.मु0अ0सं0 523/2023 धारा 392/411/120बी थाना कोसीकलां जनपद मथुरा।

3.मु0अ0सं0 554/2023 धारा 307 भादवि0 3/25 आयुद्ध अधिनियम थाना कोसीकलां जनपद मथुरा।

4.मु0अ0सं0 733/2023 धारा 2/3 गैंगस्टर अधिनियम थाना कोसीकलां जनपद मथुरा।

5.मु0अ0सं0 241/2021 धारा 420/406/411 भादवि थाना अलीगंज जनपद लखनऊ।

6.मु0अ0सं0 26/2022 धारा 420/406/411 भादवि थाना तालकटोरा जनपद लखनऊ।

7.मु0अ0सं0 534/2023 धारा 392/411 भादवि थाना कोसीकलां जनपद मथुरा।

8.मु0अ0सं0 354/2025 धारा 109(1)/111/बीएनएस व 3/25/27 आयुध अधिनियम थाना झिंझाना जनपद शामली।

बरामदगी का विवरणः-

1.अवैध 02 तमंचा मय 02 खोखा व 02 जिंदा कारतूस 315 बोर।

<u>थाना कांधला पुलिस द्वारा थाना क्षेत्रान्तर्गत सेल्समैन के साथ हुई लूट की घटना में वांछित अभियुक्त गिरफ्तारः-</u>

ज्ञात हो कि दिनांक 17.04.2025 को श्री गुलवीर मलिक पुत्र देवी सिंह हाल निवासी ग्राम लिसाढ़ थाना कोतवाली शामली जनपद शामली जो शराब सेल्समैन है अपना काम खत्म करने के बाद अपने घर जा रहा था। कि रात्रि करीब 21.50 बजे रेलवे फाटक कांधला से बुढाना रोड़ ग्राम अट्टा के पास अज्ञात अभियुक्तो द्वारा हमला कर नगदी लूट ली गई थी। घटना के सम्बन्ध में वादी द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर थाना कांधला पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था। दिनाँक 27.04.2025 को घटना का अनावरण करते हुये घटना में लिप्त अभियुक्त अनिकेत उर्फ अनी उर्फ कट्टी पुत्र देवेन्द्र निवासी ग्राम डूंगर थाना फुगाना जनपद मुजफ्फरनगर को लूटी गई नगदी व अवैध हथियार सहित दिनाँक 27.04.2025 को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। थाना कांधला पुलिस द्वारा घटना में वांछित अभियुक्त की तलाश की जा रही थी।

इसी क्रम में आज दिनांक 25.07.2025 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री राम सेवक गौतम द्वारा चलाये जा रहे लूट/चोरी की घटनाओं के अनावरण एवं इनमें लिप्त अभियुक्तगणों की गिरफ्तारी अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन व क्षेत्राधिकारी कैराना के पर्यवेक्षण थाना कांधला पुलिस द्वारा थाना क्षेत्रान्तर्गत सेल्समैन के साथ रेलवे फाटक कांधला से बुढाना रोड़ ग्राम अट्टा के पास हुई लूट की घटना में वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। गिरफ्तारी के सम्बन्ध में थाना कांधला पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्तः-</u>

1.चाँदवीर उर्फ यूवी पुत्र स्व0 कृष्णपाल निवासी ग्राम दौराला थाना दौराला जनपद मेरठ हाल पता ग्राम डूंगर थाना फुगाना जनपद मुजफ्फरनगर।

थाना कोतवाली शामली पुलिस द्वारा 02 चोर गिरफ्तार, कब्जे से चोरी किया गया सामान व घटना में प्रयुक्त स्कूटी बरामदः-

ज्ञात हो दिनाँक 16.07.2025 की थाना कोतवाली शामली क्षेत्रान्तर्गत ग्राम लिलौन में अभियुक्तगण द्वारा स्वंय को गैस ऐजन्सी का कर्मचारी बताते श्री शरद कुमार पुत्र स्व0 हरवीर सिंह निवासी ग्राम लिलौन थाना कोतवाली शामली जनपद शामली के घर में घुसकर वादी की पत्नी को नशीला पदार्थ सूंघाकर बेहोश कर सामान चोरी कर लिया गया था। घटना के सम्बन्ध में वादी श्री शरद कुमार उपरोक्त की तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली शामली पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था।

इसी क्रम में आज दिनांक 25.07.2025 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री रामसेवक गौतम के आदेशानुसार संदिग्ध व्यक्ति/वाहन चैकिंग व चोरों की गिरफ्तारी हेतु चलाये गये अभियान के अनुपालन में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी नगर के कुशल पर्यवेक्षण में थाना कोतवाली शामली पुलिस द्वारा 02 चोर को चोरी किये गये गैस सिलेण्डर, एक मोबाईल व घटना में प्रयुक्त स्कूटी सहित गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। गिरफ्तारी एवं बरामदगी के सम्बन्ध में थाना कोतवाली शामली पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्तः-

1.अहसान पुत्र अख्तर निवासी ग्राम भूरा थाना कैराना जनपद शामली।

2.तसव्वर पुत्र इकबाल निवासी ग्राम खन्द्रावली थाना कांधला जनपद शामली।

बरामदगी का विवरणः-

1.चोरी किया गया सामान (दो गैस सिलेण्डर, एक मोबाईल फोन)।

2.घटना में प्रयुक्त स्कूटी।

थाना कैराना पुलिस द्वारा थाना क्षेत्रान्तर्गत ग्राम मुकन्दपुर खेड़ी में घर में घुसकर अवैध हथियार से फायरिंग कर युवक पर जानलेवा हमला करने के मामले में हिस्ट्रीशीटर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से घटना में प्रयुक्त अवैध हथियार बरामदः-

ज्ञात हो दिनाँक 19.07.2025 को अभियुक्तगण द्वारा एक राय होकर वादी श्री इरफान पुत्र जमालू निवासी ग्राम मुकन्दपुर खेड़ी थाना कैराना जनपद शामली के घर में घुसकर वादी के भाई अफसर पर अवैध हथियार से फायर कर जानलेवा हमला किया गया था। घटना के सम्बन्ध में वादी श्री इरफान उपरोक्त की तहरीर के आधार पर थाना कैराना पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था।

इसी क्रम में आज दिनाँक 25.07.2025 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री रामसेवक गौतम के आदेशानुसार चलाये जा रहे अपराध की रोकथाम एवं अपराध में लिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी कैराना के निकट पर्यवेक्षण में थाना कैराना पुलिस द्वारा थाना क्षेत्रान्तर्गत ग्राम मुकन्दपुर खेड़ी में घर में घुसकर युवक पर अवैध हथियार से फायरिंग कर जानलेवा हमला करने के मामले में हिस्ट्रीशीटर अभियुक्त राशिद पुत्र नवाजा निवासी ग्राम ईस्सोपुर खुरगान थाना कैराना जनपद शामली को घटना में प्रयुक्त एक अवैध तमंचा मय नाल में फसा हुआ एक खोखा कारतूस सहित गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना कैराना पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्त-

1.राशिद पुत्र नवाजा निवासी ग्राम ईस्सोपुर खुरगान थाना कैराना जनपद शामली।

आपराधिक इतिहास अभियुक्त उपरोक्तः-

1.मु0अ0सं0 15/2018 धारा 147/148/149/307 भादवि थाना कैराना जनपद शामली।
2.मु0अ0सं0 106/2022 धारा 380/411 भादवि थाना कैराना जनपद शामली।
3.मु0अ0सं0 107/2022 धारा 4/25 आयुध अधिनियम थाना कैराना जनपद शामली।
5.मु0अ0सं0 426/2022 धारा 60 आबकारी अधिनियम व 273/273 भादवि थाना कैराना जनपद शामली।
6.मु0अ0सं0 21/2023 धारा 380/411 भादवि थाना कांधला जनपद शामली।
7.मु0अ0सं0 230/2023 धारा 2/3 गैंगस्टर अधिनियम थाना कांधला जनपद शामली।
8.मु0अ0सं0 40/2025 धारा 305(a)/317(2) भादवि थाना झिझाना जनपद शामली।
9.मु0अ0सं0 467/2018 धारा 392/411 भादवि थाना झिंझाना जनपद शामली।
10.मु0अ0सं0 469/2018 धारा 307/414 भादवि थाना झिंझाना जनपद शामली।
11.मु0अ0सं0 713/2018 धारा 2/3 गैंगस्टर अधिनियम थाना झिंझाना जनपद शामली।

उत्तर प्रदेश शासन की मंशा के अनुरूप शामली पुलिस द्वारा अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही व पैरवी के क्रम में अलग अलग 04 मामले में 03 अभियुक्तों को माननीय न्यायालय द्वारा सुनाई सजा व 5,500/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया:-

1.-वर्ष 2024 में अभियुक्त अहसान पुत्र सफीउल्ला निवासी मौहल्ला कश्यपपुरी थाना गढीपुख्ता जनपद शामली के विरुद्ध थाना गढ़ीपुख्ता पर मु0अ0सं0 413/2024 धारा 3/25 आयुध अधिनियम पंजीकृत किया गया था । इसी क्रम में आज दिनांक 25.07.2025 को माननीय न्यायालय सीजेएसडी/एसीजेएम कैराना शामली द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को दोषी पाते जेल में बितायी गयी अवधि की सजा व 1,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है । अर्थदण्ड अदा न करने पर 10 दिवस अतिरिक्त कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है ।

2.-वर्ष 2022 में अभियुक्त फारूख पुत्र शाहरून निवासी रामड़ा थाना कैराना जनपद शामली के विरुद्ध थाना कैराना पर मु0अ0सं0 26/2022 धारा 60 आबकारी अधिनियम पंजीकृत किया गया था । इसी क्रम में आज दिनांक 25.07.2025 को माननीय न्यायालय सीजेएम कैराना शामली द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को दोषी पाते हुए जेल में बितायी गयी अवधि की सजा व 1,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है । अर्थदण्ड अदा न करने पर 10 दिवस अतिरिक्त कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है ।

3.-वर्ष 2022 में अभियुक्त फारूख पुत्र शाहरून निवासी रामड़ा थाना कैराना जनपद शामली के विरुद्ध थाना कैराना पर मु0अ0सं0 27/2022 धारा 4/25 आयुध अधिनियम पंजीकृत किया गया था । इसी क्रम में आज दिनांक 25.07.2025 को माननीय न्यायालय सीजेएम कैराना शामली द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को दोषी पाते हुए जेल में बितायी गयी अवधि की सजा व 1,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है । अर्थदण्ड अदा न करने पर 10 दिवस अतिरिक्त कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है ।

4.- वर्ष 2007 में अभियुक्त इसरार पुत्र रूकमदीन निवासी ग्राम गोगवान थाना कैराना जनपद शामली के विरुद्ध थाना कैराना पर मु0अ0सं0 118/2007 धारा 18/20 एनडीपीएस अधिनियम पंजीकृत किया गया था । इसी क्रम में आज दिनांक 25.07.2025 को माननीय न्यायालय सीजेएम कैराना शामली द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को दोषी पाते हुए जेल में बितायी गयी अवधि की सजा व 2,500/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है । अर्थदण्ड अदा न करने पर 10 दिवस अतिरिक्त कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है ।

SOCIAL MEDIA CELL SHAMLI